भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2877
17 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

दिल्ली में राशन कार्ड

2877. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या दिल्ली के लिए राशन कार्डों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार राशन कार्डों की अधिकतम सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है;
(ग) क्या 'एक राष्ट्र एक कार्ड' योजना के कार्यान्वयन के बाद दिल्ली का राशन कोटा बढ़ाया गया है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 37.69% ग्रामीण और 43.59% शहरी आबादी को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कवर करता है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 72.77 लाख व्यक्ति है।

वर्तमान में, 72.77 लाख लाभार्थियों की अपेक्षित कवरेज की तुलना में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने अधिकतम अनुमेय सीमा अर्थात 72.77 लाख व्यक्तियों तक लाभार्थियों को चिह्नित किया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रतिशत कवरेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना जनसंख्या अनुमानों के आधार की जाएगी, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। अतः, एनएफएसए के अंतर्गत कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद ही संभव होगा।

(ग) और (घ): जी नहीं, 'एक राष्ट्र एक कार्ड' योजना लागू होने के बाद दिल्ली के राशन कोटे में कोई वृद्धि नहीं की गई है। तथापि, भारत सरकार उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए ओएनओआरसी के तहत बिक्री के प्रति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को त्रैमासिक आधार पर अलग से अतिरिक्त राशन प्रदान करती है।

*****